बिहार विधान-सभा वादवृत्त

भारत के संविधान के उपबंध के अनुसार एकत्र विधान-सभा का कार्य विवरण।

सभा का अधिवेशन पटने के सभा-सदन में बुधवार, तिथि १० फरवरी १९६५ को पूर्वाह्न ११ बजे अध्यक्ष डा० लक्ष्मीनारायण सुधांशु के सभापतित्व में प्रारम्भ हुआ।

अत्यावश्यक सार्वजनिक महत्व के विषय पर ध्यानाकर्षण

सिंचाई विभाग के पदाधिकारी द्वारा दरभंगा जिले के किसानों को तबाह किया जाना

श्री राजकुमार पूर्वे—अध्यक्ष महोदय, जिस ध्यानाकर्षण की सूचना में दे रहा हूं वह एक बहुत-ही गम्भीर विषय से संबंध रखता है। गत साल इस विषय में आश्वासन दिया गया था।

अध्यक्ष—इस संबंध में जो आपकी सूचना है उसको आप चाहें तो पढ़ सकते हैं।

श्री राजकुमार पूर्वे—दरभंगा जिलान्तर्गत कमला नहर अभी पूर्ण रूप से तैयार भी नहीं हुई है और उसमें बरसात के सिवा कभी पानी नहीं रहता है फिर भी दिनांक २० जनवरी १९६५ को सिंचाई विभाग के ऑफिसर ने बन्दूकधारी फोर्स के साथ बेनीपट्टी थाने के अड़ेर ग्राम के श्री कलाधर मिश्र, पेसर बतह मिश्र का बैल इसलिये खोल लिया कि उन्होंने मौजे लक्ष्मीपुर दक्षिनोत्तर में खेसरा नम्बर २९, ३०, ३१, ३३.... (बहुत-से ऐसे नम्बर हैं) की जमीन को उक्त नहर से पटाया गया जबकि इन जमीनों में से एक धूर भी इनकी जमीन नहीं है। फिर भी अपनी इज्जत बचाने के लिये उन्होंने रुपया देकर लोगों को लौटा दिया। एक नहीं दर्जनों आदमियों के साथ ऐसी बातें हुई हैं और हो रही हैं जिनका नाम भी हमने दिया है, आश्चर्य की बात है कि जिनके पास एक धूर भी जमीन नहीं है .....

अध्यक्ष—शान्ति, माननीय सदस्य कृपया बैठ जायं। मैं माननीय मुख्य मंत्री से यह पूछना चाहता हूं कि कमला नहर के संबंध में जो ध्यानाकर्षण की सूचना माननीय सदस्य दे रहे हैं उसके प्रभारी मंत्री कौन हैं?

श्री कृष्ण बल्लभ सहाय—हुजूर, हम सुन रहे हैं।

श्री रामलखन सिंह यादव—हमलोग भी सुन रहे हैं।

अध्यक्ष—अच्छी बात है। मुख्य मंत्री ध्यान देंगे।

श्री राजकुमार पूर्वे—मैं कह रहा था कि आश्चर्य की बात है कि जिनके पास एक धूर भी जमीन नहीं है उनसे भी रेंट वसूल किया जाता है। बेंजलपुर ग्राम के श्री यदुनन्दन झा को उनके हाथ बांधकर दो मील लाया गया और जब उन्होंने रुपया दिया तब उन्हें छोड़ा गया।

मैं यह स्पेसिफिक केस दे रहा हूं जिनसे रुपया वसूल किया जा रहा है और जिनके पास एक धूर भी जमीन नहीं है। जब हमलोग इसके लिये खबर करते हैं तो नतीजा यह होता है कि गत साल बैद्यनाथ यादव पर.....

अध्यक्ष—शान्ति, श्री बैद्यनाथ यादव कहें।

श्री राजकुमार पूर्वे—श्री बैद्यनाथ यादव पर डिफेन्स ऑफ इंडिया रूल्स के अधीन मुकदमा चलाया गया इसलिये कि वे नाजायज टैक्स देने से इनकार करते हैं। जब गत साल १९ फरवरी को हमने ध्यानाकर्षण सूचना सदन में रखी थी तो २५ फरवरी को जो सरकार की ओर से जवाब मिला उसमें कुछ आश्वासन भी था। जवाब यह था कि :

"प्राप्त सूचना से ऐसा मालूम पड़ता है कि ये लोग बहुत पहले ही गांव छोड़कर भाग गये हैं।"

इसके बाद दो-तीन आश्वासन सरकार की तरफ से दिये गये।

"यदि छानबीन के पश्चात यह साबित हो जायेगा कि उक्त तीन आदमियों से रुपये वसूल किये गये हैं तो अधिक रुपये लौटा दिये जायेंगे।"

लेकिन इस आश्वासन के बाद, हालांकि मैं भी आश्वासन समिति का एक सदस्य था, यह केस आज तक उसके सामने नहीं आया कि डिपार्टमेंट से पूछा जाय। मैंने पूछा तो कहा गया कि ऑफिसर से वहां गया ही नहीं है। तो इस तरह से जिनके पास जमीन भी नहीं है उन्हें बांधकर आतंकित किया जाता है जिससे वे घर छोड़कर भाग रहे हैं और बन्दूक के जरिये या लाठी चलाकर वे जमीनों के साथ इस तरह सख्ती की गई है और इसकी छानबीन भी नहीं होती तो हमारी अपील है कि इसकी जल्द छानबीन की जाये और जिनके पास जमीन है उनसे वसूल किया जाये तो हर्ज नहीं है, इसलिये मैं चाहता हूं कि इसके लिये एक दिन समय दिया जाय और इसपर हमलोग वाद-विवाद करें।

अध्यक्ष—शान्ति, आप बैठ जायें। आपका समय हो गया।

श्री मुंगेरी लाल—इस संबंध में १५ तारीख को उत्तर दिया जायेगा।

राज्यपाल के अभिभाषण पर वाद-विवाद

श्री मोती राम—अध्यक्ष महोदय, इस सदन में महामहिम राज्यपाल का जो अभिभाषण हुआ उसमें हमें जो कुछ देखने को मिला उससे मैं यह कह सकता हूं कि उस अभिभाषण में मैंने इस चीज को नहीं देखा कि बिहार की जो भौगोलिक परिस्थिति है उस परिस्थिति को मद्देनजर रखते हुए रिजनल बेसिस पर यह राज्य सरकार प्लैनिंग करके कोई काम करना चाहती है या नहीं, बजट में इसका कोई रूप देना चाहती है या नहीं। ऐसा आभास मुझे अभिभाषण में नहीं मिला। अध्यक्ष महोदय, मैं सरकार का ध्यान इस बात की ओर खींचना चाहता हूं कि राज्यपाल के अभिभाषण में इस बात का जिक्र नहीं किया गया है कि इस प्रान्त